न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 401/2020 **GCMS 2020/00539**

प्रार्थीगण

1. मंगनाराम पुत्र मून्नाराम जाति कुम्हार
2. रामलाल पुत्र मून्नाराम जाति कुम्हार
3. सुखाराम पुत्र मून्नाराम जाति कुम्हार निवासीयान टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 09/02/2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा जागीर के गत खसरा नम्बर 92 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 92/1 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थी के पूर्वज मून्ना पुत्र काना की सहखातेदारी का अवस्थित रहा, प्रार्थीगण मून्ना पुत्र कानाराम के वारिसान है, नावां तहसील में द्वितीय भू–प्रबन्ध की कार्यवाही में नया गांव रूपपुरा टोरड़ा बनाया गया एवं गत खसरा नम्बर 92 व 92/1 के नवीन खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.86 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय कुल रकबा 2.04 हैक्टर कायम हुये, गत खसरा नम्बर 92 के पश्चिमी दिशा में गत खसरा नम्बर 93 रकबा 6 बीघा व गत खसरा नम्बर 96 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा अवस्थित रहे जिसके द्वितीय भू–प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 265 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 1.09 हैक्टर कुल रकबा 1.22 हैक्टर कायम किये गये, गत खसरा नम्बर 92 के पश्चिमी दिशा में सींवा जोड़ खसरा नम्बर 96 अविस्थत रहा, द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान [illegible] अधिकारियों ने गलती से खसरा नम्बर 96 के नवीन खसरा नम्बर [illegible] का [illegible]रमीम गत खसरा नम्बर 92 के नवीन खसरा सं. 269 में कर दी, जबकि [illegible] का डाईग्राम देखने मात्र से स्पष्ट है कि नवीन खसरा नम्बर 247 व 269 के [illegible] एक खसरा जो [illegible] नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तरमीम किया गया है उसमें कोई नम्बर अंकित नही किये गये है जिसके लिए राजस्व नक्शा गत व राजस्व नक्शा नवीन की नकल संलग्न प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई है, जिसमें बिना नम्बर अंकित किये गये डाईग्राम को मार्क ए बी सी डी से दर्शित किया गया है जिसमें वास्तव में खसरा नम्बर 265 अंकित किया जाना चाहिए था, गत खसरा नम्बर 96 व 92 सींवा जोड़ खसरे थे इसलिए खसरा नम्बर 96 का कोई भाग खसरा नम्बर 92 के किसी भाग के अन्दर तरमीम होने का प्रश्न ही पैदा नही होता परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शे में गलत तरमीम करने से अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में की गई गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा,खसरा नम्बर 265 खसरा नम्बर 247 व खसरा नम्बर 269 के बीच तरमीम होना चाहिए था परन्तु खसरा नम्बर 245 को खसरा नम्बर 269 में गलत तरमीम किया गया है एवं जिस आकृति में तरमीम किया गया है वो आकृति कभी खसरा सं. गत 96 की नही थी, प्रार्थी खसरा नम्बर 269, 266, 267, 268, 270 के विधिवत सहखातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 265 जहॉ गलत तरमीम किया गया है वहॉ प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ढ़ाणीयॉ आई हुई है एवं खसरा नम्बर 269 की किस्म गै.मु.ढ़ाणी ही है, खसरा नम्बर 247 के पूर्व में नवीन नक्शें में जो डाईग्राम बिना नम्बर का तरमीम किया गया है जो वास्तव में डाईग्राम खसरा नम्बर 265 का डाईग्राम है राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त डाईग्राम में खसरा नम्बर 265 अंकित होने से रह गया एवं इस डाईग्राम में खसरा नम्बर 265 अंकित किया गया है तो इसके रकबे का मेल भी खसरा संख्या 265 के रकबे से मिलता है एवं किसी पक्षकार को किसी प्रकार की क्षति कारित नही होती है, कुचामनसिटी तहसील के ऑनलाईन होने एवं सेगीगेशन की कार्यवाही में खसरा नम्बर 267, 268, 270 में प्रार्थीगण का सा.द.गदड़ी तहसील सांभर जिला जयपुर अंकित कर दिया गया है जो एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है, उक्त गलतियॉ मात्र लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है जिनके रहने से प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित होते है इसलिए प्रार्थीगण इन्हे दुरूस्त करवाने के अधिकारी है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 247 के पूर्व दिशा में एवं खसरा नम्बर 269 के पश्चिम दिशा में राजस्व नक्शे में बने डाईग्राम जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शित किया गया है में खसरा नम्बर 265 अंकित किया जावें एवं खसरा संख्या 269 में जहॉ खसरा नम्बर 265 अंकित किया गया है उस स्थान से हटाया जावें व ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 267, 268, 270 में प्रार्थीगण को निवासी टोरड़ा अंकित किया जावें एवं गदड़ी तहसील सांभर जिला जयपुर हटाया जावें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेखीय स्थिति मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2026 के अनुसार गत खसरा नम्बर 92 रकबा 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 92/1 रकबा 3 बिस्वा मुना वल्द काना 1/4 सुण्डा वल्द काना 1/4 रूघनाथ वलद पदमा 1/4 कौम कुम्हार सा. देह खुदकाश्त 1/4 दर्ज है शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्व करें, भू–प्रबन्ध संक्रियाओ के दौरान भू–प्रबंध विभाग के कार्मिको द्वारा अभिलेख अनुसार विधिवत मौके पर पैमाईश की जा कर ही नवीन अभिलेख तैयार किया गया है, वर्तमान खसरा नम्बर 265 रकबा 0.09 हैक्टर गै.मु.गोचर राजकीय दर्ज है जो गत खसरा नम्बर 93 से नवीन कायम किया गया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र संघारणीय नही होने से खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

प्रार्थीगण की ओर से गत खसरा नम्बर 92 93 नक्शा ट्रेस की नकल, नये खसरा नम्बर 269, 267 वगैरह की नकल, खसरा मिलान क्षेत्रफल की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2008– 2027, 2046–2065, 2073–2076 ग्राम टोरड़ा के खाता संख्या 189, 223, 267 की नकल प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा बहस दौरान बताया है कि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 247 के पूर्व दिशा में एवं खसरा नम्बर 269 के पश्चिम दिशा में राजस्व नक्शे में बने डाईग्राम जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शित किया गया है में खसरा नम्बर 265 अंकित किया जावें एवं खसरा संख्या 269 में जहॉ खसरा नम्बर 265 अंकित किया गया है उस स्थान से हटाया जावें व ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 267, 268, 270 में प्रार्थीगण को निवासी टोरड़ा अंकित किया जावें एवं गदड़ी तहसील सांभर जिला जयपुर हटाया जावें। अप्रार्थी ने उक्त प्रविष्टि सही दर्ज चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 265 भूमि की किस्म गै.मु.गोचर है इसलिए वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि गत खसरा नम्बर 93 रकबा 6 बीघा गै.मु.ओरण दर्ज है तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये खसरा नम्बर 265, 246 247 कायम हुये है जिनकी किस्म वर्तमान में गै.मु.गोचर दर्ज है जो राजकीय भूमि दर्ज है। इसलिए गै.मु.गोचर की खातेदारी प्रार्थीगण को नही दी जा सकती।

प्रार्थीगण के निवास स्थान के संबंध में भी पुराने दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नही किये है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त संशोधन किये जा सके। प्रार्थीगण के निवास स्थान के संबंध में प्रस्तुत जमाबंदी के खाता संख्या 223 में टोरड़ा सा. देह खातेदार है जबकि खाता संख्या 189 में सा. गदड़ी तहसील सांभर जिला जयपुर खातेदार दर्ज है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित है अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर ग्राम टोरड़ा के खाता संख्या 189 में प्रार्थीगण का निवास स्थान खाता संख्या 223 में अंकित अनुसार दुरूस्त किये जाने के

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश दिये जाते है, शेष इस्तदुआ खसरा नम्बर 265 एवं 269 की खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनॉक 9/2/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested